दिल्ली राजपत्र भाग–चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि,न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली।

सं०फा० 14 (33)वि.कार्य–2000–03/1101 **दिनांकः 02 जुलाई, 2003**

अधिसूचना

सं०फा० 14 (33)वि.कार्य–2000–03/1101/ .– राष्ट्रपति, भारत सरकार की दिनांक 13.6.2003 को मिली अनुमति के पश्चात् विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :–

"दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 (दिल्ली अधिनियम संख्या 8 वर्ष 2003)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा 03 अप्रैल, 2003 को यथा पारित)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासकीय प्रयोजनों एवं अन्य विषयों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रथम भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी और द्वितीय भाषाओं के रूप में गुरूमुखी लिपि में पंजाबी और फारसी लिपि में उर्दू को स्वीकृत कराने हेतु एक अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के इक्यावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार विनियमित किया जाए :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ** (1) इस अधिनियम को दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 कहा जाए।

(2) यह संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तारित है।

(3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **परिभाषाएं** जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में :–

(क) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;

(ख) "सरकार" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से है;

(ग) "विधानसभा" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा।

3. **हिन्दी का दिल्ली की राजभाषा होना** दिल्ली की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी उस तिथि से होगी जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें